न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान कुलदीप भार्गव बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या 273/2025

निर्णय दिनांक ....10/02/2025........

कुलदीप भार्गव पुत्र चेतनराम भार्गव जाति भार्गव निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
2. नवाब पुत्र गनी जाति तेली निवासी वार्ड नं. 30 तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

उपस्थिति :–

1. श्री केदार मल स्वामी एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री योगेश स्वामी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 02
3. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 01 तहसीलदार तारानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि खसरा नं. 522/478 तादादी 0.5058 हैक्ट रोही मौजा किरसाली कांधलान पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। प्रार्थी ने दिनांक 22.06.2020 को खेत खसरा नं. 478/59 तादादी 3.5153 हैक्ट. में से 0.5058 हैक्ट. (02 बीघा) जरिये बैयनामा नवाब पुत्र गनी जाति तेली निवासी तारानगर से खरीद की थी। बैयनामा में प्रार्थी ने जो जमीन खरीदी थी, उसके आसा पासा दिखाया गया है जो निम्न प्रकार से है:–

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
खेत खसरा नं. 477/59	विक्रेता की शेष	विक्रेता की शेष	तारानगर से
खातेदार छेलू खां	बची भूमि	बची भूमि	साहवा रोड़

प्रार्थी ने खेत खसरा नं. 478/59 तादादी 3.5153 हैक्ट. भूमि में विक्रेता नवाब के अधिकारी खातेदारी में से पश्चिमी कूंट में विक्रित भूमि 0.5058 हैक्ट.(02 बीघा) खरीद की थी। बैयनामा के आधार पर प्रार्थी के नाम इंतकाल दर्ज हो गया और प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज हो गया। प्रार्थी की खातेदारी कृषिभूमि का नक्शा ऑनलाईन किया गया था, वो नक्शा ऑनलाईन में गलत नक्शा बन गया। प्रार्थी की खातेदारी की कृषिभूमि पश्चिमी दिशा में तारानगर–साहवा सड़क लगती है। बैयनामा में आसा पासा स्पष्ट लिखा गया है। लेकिन प्रार्थी के खेत के ऑनलाईन नक्शा में गलती से खसरा नं. 521/478 की कृषिभूमि दिखाई गई है जो गलत है बल्कि सड़क के पास खसरा नं. 522/478 की कृषिभूमि है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि 522/478 तादादी 0.5058 हैक्ट रोही मौजा किरसाली कांधलान पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर जिला चूरू का जो ऑनलाईन नक्शा बनाया गया है उसमें गलत रूप से प्रार्थी के खेत के पश्चिमी दिशा में खेत खसरा नं. 521/478 की भूमि दिखा दी गई। नक्शे को बैयनामा के अनुसार शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को जारी फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं. 02 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश स्वामी ने वकालतनामा पेश किया। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने अनेक्चर 'क' के अनुसार बिन्दु संख्या EFGH बरंग हरा के अनुसार तरमीम शुद्धि की जाने की अभिशंषा की है।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajender

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 30.04.2025 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोई एतराज नही होना जाहिर किया है। वकील प्रार्थी ने दिनांक 19.08.2025 को साक्ष्य वादी के तौर पर शपथ पत्र पेश किया व बयान दर्ज करवाये। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में अनेक्चर 'क' के अनुसार तरमीम करने में सहमति जाहिर की।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में वर्तमान अशुद्ध होना व अनेक्चर 'क' के अनुसार तरमीम कर नई सीमा रेखाएं रेखांकित करना जाहिर किया। इस प्रकार तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा भूमि में ऑनलाईन नक्शा गलत पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि मौजा किरसाली कांधलान पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 522/478 तादादी 0.5058 हैक्ट. भूमि के राजस्व नक्शे को अनेक्चर 'क' में अंकितानुसार राजस्व नक्शा दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। अनेक्चर 'क' निर्णय का भाग रहेगा। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/09/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)